क्रम-संख्या–69(ख-1)

रजिस्टर्ड नं0 एल0 डब्ल्यू/एन0पी0 561
लाइसेन्स नं0 डब्ल्यू0 पी0-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेंट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

प्रयागराज, सोमवार, 14 मई, 2020 ई0
(बैशाख 24, 1942 शक संवत्)

उत्तर प्रदेश शासन
ऊर्जा विभाग
[ऊर्जा (नि0नि0) प्रकोष्ठ]
उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, लखनऊ
अधिसूचना संख्या यू.पी.आर.सी./सचिव/एस.एल.डी.सी. रेगुलेशन/2020-043
दिनांक 14 मई, 2020 ई0

यू.पी.ई.आर.सी. (राज्य भार प्रेषण केन्द्र के शुल्क एवं प्रभार तथा अन्य सम्बन्धित प्रकरण) विनियमावली, 2020

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 के साथ पठित धारा 32 और 33 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त अन्य सभी समर्थकारी शक्तियों के प्रयोग में तथा पूर्व प्रकाशनों के पश्चात्, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग निम्न विनियमावली बनाते हैं, अर्थात्,

अध्याय–1

प्रारम्भिक

1–लघु शीर्षक, विस्तार, प्रयोज्यता एवं प्रारम्भ–

(क) इस विनियमावली को उत्तर प्रदेश नियामक आयोग (राज्य भार प्रेषण केन्द्र के शुल्क एवं प्रभार तथा अन्य सम्बन्धित प्रकरण) विनियमावली, 2020 कहा जायेगा तथा यह उत्तर प्रदेश नियामक आयोग (राज्य प्रभार प्रेषण केन्द्र को फीस और प्रभारों के भुगतान के लिए प्रक्रिया, निबन्धन और अन्य सम्बन्धित उपबन्ध) विनियमावली, 2004 का अतिक्रमण करेगी,

(ख) यह विनियमावली पूरे उत्तर प्रदेश में प्रवृत्त होगी,

(ग) यह विनियमावली राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा उपयोगकर्ताओं से वसूले जाने वाले शुल्क और प्रभारों के निर्धारण हेतु लागू होगी,

(घ) यह विनियमावली आयोग द्वारा अन्यथा पहले समीक्षा करने अथवा बढ़ाये जाने के सिवाय 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2025 तक की अवधि के लिए लागू होगी,

(ङ) यह विनियमावली सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2–परिभाषायें और निर्वचन–

2.1 इस विनियमावली में जब तक कि संदर्भ या विषय-वस्तु में अन्यथा अपेक्षित न हो :

(1) 'अधिनियम' का तात्पर्य समय-समय पर संशोधित विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) से है;

(2) 'लेखा विवरणी' का तात्पर्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए निम्न विवरणियों से है, अर्थात

(i) समय-समय पर संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-3 के भाग-1 की अनुरूपता में तैयार की गयी सम्प्रेक्षित बैलेंस शीट,

(ii) समय-समय पर संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 के भाग–2 की आकंक्षाओं के अनुपालन में सम्प्रेक्षित प्रॉफिट एण्ड लॉस एकाउन्ट्स्,

(iii) समय-समय पर संशोधित इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स् के कैश फ्लो स्टेटमेन्ट (आई.एन.डी.ए. एस.-3) पर एकाउन्टिंग स्टैण्डर्ड की अनुरूपता में तैयार किये गये सम्प्रेक्षित कैश फ्लो स्टेटमेन्ट,

(iv) एस.एल.डी.सी. के वैधानिक सम्प्रेक्षकों की रिपोर्ट,

(v) समय–समय पर संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित कास्ट रिकार्ड्स, यदि कोई हों,

(vi) आयोग द्वारा समय-समय पर निर्देशित टिप्पणियों और समर्थक विवरणियों सहित सूचना।

(3) ''वार्षिक एलडीसी प्रभार (एएलसी)'' का तात्पर्य भार प्रेषण केन्द्र के वार्षिक प्रभार से है जिसमें राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक व्ययों को किये जाने हेतु सकल राजस्व आवश्यकता (एआरआर सम्मिलित होगी),

(4) ''प्राधिकरण'' का तात्पर्य केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से है;

(5) ''क्रेता'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो दीर्घ/मध्यम तथा लघु अवधि की ओपेन एक्सेस के माध्यम से विद्युत क्रय करता है तथा जिसकी शिड्युलिंग, मीटरिंग और एनर्जी एकांउटिंग का समन्वय राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा किया जाता है;

(6) ''पूंजीगत व्यय'' अथवा ''कैपेक्स'' का तात्पर्य नियंत्रण अवधि में राज्य भार प्रेषण केन्द्र की परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु व्यय किये जाने पूंजी कृत प्रकृतियों के व्ययों, जैसा भी प्रकरण हो, से है,

(7) ''प्रभारों'' का तात्पर्य राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा आवर्ती प्रकृति के भुगतानों की मासिक वसूली से है अथवा नियमावली में निर्दिष्ट अन्य प्रभार;

(8) ''आयोग'' का तात्पर्य का उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) से है;

(9) ''अनुबन्धित क्षमता'' का तात्पर्य दीर्घ अवधि एक्सेस अथवा मध्यम अवधि ओपेन एक्सेस के माध्यम से स्थापित क्षमता से है,

(10) ''केन्द्रीय आयोग'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 76 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग से है,

(11) ''विधि में परिवर्तन'' का तात्पर्य निम्न वृत्तांतों में से किसी के घटित होने से हैः–

(क) किसी नये भारतीय कानून अथवा भारतीय शासकीय व्यवस्था को लागू करना अथवा प्रकाशित करना,

(ख) किसी विद्यमान भारतीय कानून का अंगीकरण, संशोधन, रूपान्तरण का समापन अथवा पुर्न प्रकाशन, अथवा

(ग) सक्षम न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा भारत सरकार की संस्था, जो कानून के अन्तर्गत ऐसी व्याख्या अथवा लागू किये जाने हेतु अन्तिम प्राधिकरण है, के द्वारा किसी भारतीय कानून की व्याख्या अथवा प्रभाव में परिवर्तन,

(घ) किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना की किसी शर्त अथवा किसी राय से सहमति अथवा सफाई या अनुमोदन अथवा उपलब्ध या प्राप्त किया अनुमोदन,

(ङ) भारत सरकार तथा किसी अन्य प्रभावकारी सरकार के मध्य किसी द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय अनुबन्ध/सहमति जिससे राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभावित हो, के लागू होने अथवा उसमें परिवर्तन;

(12) ''नियंत्रण अवधि'' का तात्पर्य यदि पहले पुनर्विचारित अथवा बढ़ायी नहीं जाती है 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2025 तक चार वर्ष की अवधि से है;

(13) ''विचलन के निपटारे की विधि'' का तात्पर्य तथा इसमें एनर्जी एकाउन्टिंग का ढांचा, विचलन लेखा, राज्य इकाइयों द्वारा देय अथवा प्राप्त विचलनों के मूल्यांकन के नियम तथा अन्य डिजाइन पैरामीटर्स सम्मिलित हैं से है;

(14) ''शुल्क'' का तात्पर्य राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा ग्रिड से सम्बद्धता के प्रारम्भ करने, शिड्युलिंग तथा पंजीकरण के कारण सदस्यता तथा आयोग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट अन्य उद्देश्यों हेतु प्रदत्त सेवाओं के लिए वापस न किये जाने वाले एक मुश्त अथवा स्थायी प्राप्त भुगतान से है,

(15) ''वित्तीय वर्ष'' का तात्पर्य कैलेण्डर वर्ष की 01 अप्रैल से प्रारम्भ हो कर अगल कैलेण्डर वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि से है,

(16) ''अपरिहार्य घटना'' इस विनियमावली के उद्देश्यों से कोई घटना अथवा परिस्थितियों अथवा निम्न कथित घटनाओं अथवा परिस्थितियों के मिश्रण को सम्मिलित करते हुए जो आंशिक अथवा पूर्ण रूप से एसएलडीसी को परियोजनाओं के विनियोग अनुमोदन में प्रदर्शित अवधि में पूरा करने से रोकता हो तथा ऐसी, घटनायें अथवा परिस्थितियॉ, जो एसएलडीसी द्वारा युक्तिसंगत सावधानी अथवा विवेकपूर्ण निगमीय अभ्यास का पालन करने के पश्चात् भी उनके नियंत्रण में न हों अथवा उनकी अनदेखी नही की जा सकती थीः

(क) ईश्वरीय कृत्य को सम्मिलित करते हुए सूखा, अग्नि कांड तथा विस्फोट, भूचाल, ज्वालामुखी विस्फोट, भूमि स्खलन, बाढ़, चक्रवात, बवंडर, उग्र आंधी, भौगोलिक आश्चर्य अथवा अप्रत्याशित विपरीत ऋतु परिस्थितियॉ जो गत सौ वर्षो की सांख्यिकी सावधानियों से अधिक हैं; या

(ख) युद्ध, आक्रमण, सैनिक विवाद अथवा विदेशी शत्रु का कृत्य, घेराव, जल यात्रा बन्दी, क्रान्ति, उपद्रव, राजद्रोह, उग्रवादी अथवा सैनिक कार्यवाही सम्बन्धी कृत्य, अथवा

(ग) भारत में राष्ट्रव्यापी प्रभावी वहन औद्योगिक हड़ताल तथा श्रमिक अशान्ति।

(17) ''ग्रिडकोड'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश ग्रिडकोड से है;

(18) ''दीर्घकालीन ओपेन एक्सेस'' का तात्पर्य यूपीईआरसी (ओपेन एक्सेस के लिए नियम एवं शर्तें) विनियमावली, 2019 तथा इसके उत्तरगामी संशोधनों तथा आधिक्य में परिभाषित दीर्घ कालीन ओपेन एक्सेस से है,

(19) ''मध्य कालीन ओपेन एक्सेस'' का तात्पर्य यूपीईआरसी (ओपेन एक्सेस के लिए नियम एवं शर्तें) विनियमावली, 2019 तथा इसके उत्तरगामी संशोधनों तथा आधिक्य में परिभाषित मध्य कालीन ओपेन एक्सेस से है;

(20) ''लघु कालीन ओपेन एक्सेस'' का तात्पर्य यूपीईआरसी (ओपेन एक्सेस के नियम एवं शर्तें) विनियमावली, 2019 तथा इसके उत्तरगामी संशोधनो तथा आधिक्य में परिभाषित लघु कालीन ओपेन एक्सेस से है;

(21) ''प्रयोगकर्ता'' का तात्पर्य विद्युत उत्पादन कम्पनियों, वितरण अनुज्ञप्तिधारी, थोक उपभोक्ता (एसईजेड), विक्रेता तथा अन्त राज्य पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, मांग प्रति वचन उपभोक्ता, योग्य समनव्यता प्रतिनिधि (क्यूसीए) अथवा अन्य ऐसा उपक्रम, जो अन्तर्राज्य पारेषण नेटवर्क या संयुक्त सुविधायें अथवा राज्य भार प्रेषण केन्द्र की सेवाओं हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली का उपभोग करता हो, से है;

(22) ''वर्ष'' का तात्पर्य वित्तीय वर्ष से है,

2.2 इस विनियमावली में प्रयुक्त शब्द एवं कथन, तथा इसमें परिभाषित नहीं, का वही अर्थ होगा जैसा विधिक ढांचे में लागू है।

2.3 जब तक प्रकरण में अन्यथा वांछित न हो इस विनियमावली में :–

(क) एक वचन अथवा बहुवचन रूप में शब्द, जैसा भी प्रकरण हो, परस्पर बहुवचन और एक वचन को समाहित करते हुए माने जायेंगे;

(ख) इसमें विनियम का संदर्भ इस विनियमावली के आयोग द्वारा लागू कानून की अनुरूपता में समय-समय पर संशोधित या रूपान्तरित विनियमावली के सन्दर्भ में व्याख्यापित किया जायेगा।

(ग) शीर्षक सुविधा के लिये दिये गये हैं तथा इनको इस विनियमावली की व्याख्या हेतु संज्ञान में न लिया जाये।

(घ) विधि, विनियम अथवा दिशा निर्देश समस्त संवैधानिक प्राविधानों का एकीकरण, संशोधन अथवा ऐसी विधि, विनियम अथवा दिशा निर्देशों को बदले जाने, सहित जैसा भी प्रकरण हो, सहित माना जायेगा।

(ङ) इस विनियमावली के अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करण के बीच व्याख्या के अन्तर की स्थिति में अंग्रेजी व्याख्या प्रवृत्त होगी।

अध्याय–2
सामान्य

3–राज्य भार प्रेषण केन्द्र–

राज्य भार प्रेषण केन्द्र राज्य सरकार द्वारा स्थापित केन्द्र होगा, जिसे किसी सरकारी कम्पनी या किसी प्राधिकरण या निगम द्वारा राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित या गठित किया जायेगा, प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार जब तक अधिसूचित नहीं करती है तब तक राज्य भार प्रेषण केन्द्र को राज्य पारेषण संस्था संचालित करेगी तथा यह राज्य की विद्युत प्रणाली के एकीकृत संचालन को सुनिश्चित करने के लिए शीर्ष निकाय होगी।

4–राज्य भार प्रेषण केन्द्र के कार्य–

4.1 राज्य भार प्रेषण केन्द्र–

(क) अनुज्ञप्तिधारियों अथवा राज्य की उत्पादन कम्पनियों के अनुबन्धों के अनुसार राज्य के अन्दर श्रेष्ठतम शेड्युलिंग तथा विद्युत के प्रेषण के लिए उत्तरदायी होगा,

(ख) ग्रिड संचालन की निगरानी करेगा,

(ग) राज्य ग्रिड द्वारा प्रेषित विद्युत की मात्रा का लेखा रखेगा,

(घ) अन्तः राज्य संचार प्रणाली का पर्यवेक्षण और इस पर नियंत्रण रखेगा,

(ङ) ग्रिड–मानकों और राज्य ग्रिड कोड के अनुसार राज्य ग्रिड के सुरक्षित एवं आर्थिक संचालन के माध्यम से राज्य के अन्दर विद्युत के ग्रिड कन्ट्रोल्ड प्रेषण के लिए वास्तविक समय संचालन के लिए उत्तरदायी होगा।

अध्याय–3
ए.आर.आर./ट्रु-अप तथा शुल्क एवं प्रभार

5–वार्षिक राजस्व अवश्यकता (ए.आर.आर) तथा ट्रु-अपप्रस्तुत करने के लिए प्रक्रिया–

5.1 राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एसएलडीसी) वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ए.आर.आर.), वार्षिक प्रदर्शन की समीक्षा (एपीआर) तथा ट्रु-अप और राजस्व (शुल्क और राज्य डिसपैच सेन्टर के लिए देय शुल्क) के लिए यू.पी.ई.आर.सी. (कार्य संचालन) विनियमावली, 2019 और उसके पश्चात्वर्ती अधिनियम एवं संशोधनों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एक याचिका प्रस्तुत करेगा :

परन्तुक यह कि एक वित्तीय वर्ष के लिए इस प्रकार का आवेदन इस विनियमावली के विनियम 6.1 के अनुसार आवश्यक शुल्क के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।

परन्तुक यह कि जब तक आयोग द्वारा इस विनियमावली के अधीन टैरिफ आदेश निर्गत नही किये जाते तब तक परिशिष्ट–1 में दी गयी दरें प्रभावी रहेंगी।

5.2 प्रतिबन्ध यह है कि जब तक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पारेषण व्यवसाय तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र की गतिविधियों का पृथकीकरण नहीं किया जाता है एसएलडीसी के व्यय एवं राजस्व को यू.पी.ई.आर.सी. (बहुवर्षीय वितरण एवं पारेषण टैरिफ) विनियमावली, 2019 के अन्तर्गत अनुमोदित पारेषण ए.आर.आर./टैरिफ याचिका में संज्ञान में लिया जायेगा।

5.3 वार्षिक भार प्रेषण केन्द्र के प्रभार (ए.एल.सी.) की वसूली, जैसा आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाये, मासिक आधार पर की जायेगी।

5.4 याचिका स्वीकार करने से पूर्व आयोग द्वारा एक तकनीकी सत्यापन सत्र आयोजित किया जायेगा। आयोग की संतुष्टि के लिए आवश्यक कार्यवाही पूरी होने पर आयोग एक स्वीकार्यता आदेश निर्गत करेगा।

5.5 एस.एल.डी.सी. स्वीकार्यता आदेश निर्गत करने के तीन दिवसों के अन्दर व्यापक संचालन वाले कम से कम दो अंग्रेजी और दो हिन्दी दैनिक समाचार-पत्रों में ए.आर.आर. प्रस्तावित टैरिफ, ट्रु-अप और इस प्रकार के अन्य प्रकरणों को जैसा आयोग द्वारा निर्देशित किया जाये, सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करेगा और बड़े पैमाने पर हित धारकों और जनता से सुझाव और आपत्तियाँ आमंत्रित करेगाः

परन्तुक यह कि एस.एल.डी.सी. अपनी वेबसाइट पर आयोग के समक्ष प्रस्तुत याचिका के साथ समस्त रेगुलेटरी फाइलिंग, सूचना, विवरण और अभिलेखों के साथ आयोग द्वारा निर्धारित विधि से अपलोड भी करेगा। एसएलडीसी यह सुनिश्चित करेगा कि सूचना डाउन लोड करने के लिये व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

5.6 दरों को निर्धारित करने हेतु आयोग जनता एवं हित धारकों से प्राप्त आपत्तियों को, यदि कोई हों, विचारित करेगा।

5.7 जनता तथा हितधारकों से प्राप्त सभी सुझावों एवं आपत्तियों पर विचार करने के उपरान्त आयोग स्वीकार्यता आदेश से एक सौ बीस दिवसों के अन्दर :–

(क) ऐसे सुधार एवं शर्तों के साथ, जो उस आदेश मे निर्दिष्ट किये जायेंगे, याचिका को अनुमोदित करने वाला आदेश निर्गत करेगा,

(ख) यदि याचिका अधिनियम के नियमों और विनियमों अथवा विधि के किसी अन्य प्रावधान के अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों के अनुरूप नहीं है तो याचिकाकर्ता को उचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त कारणों को लिखित रूप में अंकित करते हुए याचिका को अस्वीकार करेगा।

5.8 याचिकाकर्ता व्यापक प्रसार वाले समाचार-पत्रों में आयोग द्वारा अनुमोदित दरें प्रकाशित करेगा और अनुमोदित दरें अपने इन्टरनेट वेबसाइट पर अपलोड करेगा।

5.9 ऐसी प्रकाशित की गयी दरें आदेश में निर्धारित तिथि से लागू होंगी और जब तक पुनरीक्षित या संशोधित नहीं की जाती हैं तब तक ऐसी अवधि के लिए लागू रहना जारी रहेंगी।

5.10 वार्षिक एलडीसी दरों में निम्नलिखित घटक सम्मिलित होंगेः–

(क) परिचालन एवं रख-रखाव,

(ख) ह्रास,

(ग) ऋणों पर ब्याज,

(घ) कार्यशील पूंजी पर ब्याज,

(ङ) इक्विटी पूंजी पर लाभ,

(च) आयकर।

<u>घटाया</u>

(छ) ओपेन एक्सेस प्रभारों से आय

(झ) टैरिफ से इतर आय

6–याचिकाएं नियंत्रण अवधि में प्रस्तुत की जायेंगी–

6.1 इस विनियमावली के अधीन नियंत्रण अवधि के लिए प्रस्तुत की जाने वाली याचिकाओं में निम्नलिखित सम्मलित होंगे :–

प्रस्तुति की तिथि	ट्रु-अप	एपीआर	एआरआर/टैरिफ
15.10.2020	वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2024–25 के लिये बिजनेस प्लान		
30.11.2020	–	–	वित्तीय वर्ष 2021–22
30.11.2021	–	वित्तीय वर्ष 2021–22	वित्तीय वर्ष 2022–23
30.11.2022	वित्तीय वर्ष 2021–22	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24
30.11.2023	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25

6.2 एसएलडीसी उपर्युक्त निर्देशों से सम्बन्धित आयोग द्वारा समय-समय पर आधिक्य/संशोधित किये गये दिशा निर्देशों एवम् निर्धारित प्रारूप के अनुसार विवरण प्रस्तुत करेगा।

7–बिजनेस प्लान और एआरआर याचिका–

7.1 एसएलडीसी, जैसा इस विनियमावली के विनियम 6.1 के प्रावधान है, विधिवत रूप से निदेशक मण्डल द्वारा या इस सम्बन्ध में अधिकृत किसी समिति/व्यक्ति द्वारा चार वित्तीय वर्षों की नियंत्रण अवधि के लिए, अर्थात 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2025 तक के व्ययों एवं वित्त पोषण के आकार की फेजिंग सहित पूंजी विनियोग योजना, परन्तुक इस तक सीमित नहीं, नियंत्रण अवधि के लिए अनुमानित बजट, आयोग द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों एवं प्रारूप की अनुरूपता में नियंत्रण अवधि के लिए जनशक्ति की बिजने सप्लान निर्धारित शुल्क सहित आयोग के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा। आयोग की उपरोक्त आवश्यकता इस सम्बन्ध में किसी अन्य सूचना, जैसी कि आवश्यक समझी जाये, आयोग के प्राप्त करने के अधिकार को बाधित नहीं करती है।

8–वार्षिक प्रदर्शन की समीक्षा–

8.1 जैसा कि इस विनियमावली के विनियम 6.1 में प्रावधान है एसएलडीसी वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा (एपीआर) के लिए याचिका प्रस्तुत करेगाः

परन्तुक यह कि सम्प्रेक्षित/अनन्तिम लेखा विवरण, लेखा पुस्तिकाओं के सार तथा अन्य ऐसे विवरण सहित याचिका में सूचना ऐसे रूप में होगी जैसा आयोग द्वारा निर्धारित किया जाये तथा यह आयोग द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों और निर्धारित प्रारूप अथवा आयोग द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार होगी।

9–ट्रु-अप–

9.1 राज्य भार प्रेषण केन्द्र ट्रुअप के लिए याचिका ससमय प्रस्तुत करेगा :

परन्तुक यह कि याचिका में आयोग द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों तथा निर्धारित प्रारूप या निर्देशों के अनुसार लेखा विवरणी, लेखा पुस्तकाओं का सार तथा अन्य विवरण सहित ऐसे रूप में सम्मिलित होगी, जैसी कि आयोग द्वारा निर्धारित की जाये।

9.2 आयोग विवेक पूर्ण जांच के अधीन सम्बन्धित वर्ष के सम्प्रेक्षित वार्षिक लेखों के आधार पर व्ययों और राजस्व ट्रुयिंग-अप एक्सरसाईज करेगा।

10–पूंजीगत लागत–

10.1 आयोग द्वारा विवेक पूर्ण जांच के अधीन आस्तियों को वाणिज्यिक उपयोग में लाये जाने की तिथि को वास्तव में व्यय किये गये पूंजीगत व्यय के आधार पर आस्तियों की लागत निर्धारित की जायेगी। विद्यमान आस्तियों के मामलें में प्रभारों के निर्धारण हेतु सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की 01 अप्रैल को सम्प्रेक्षित वार्षिक लेखों के आधार पर शुद्ध स्थायी आस्त्तियांली जायेंगी।

10.2 प्रभारों के निर्धारण हेतु ऋण और पूंजी अनुपात 70:30 होगा। जहां निवेशित पूंजी 30 प्रतिशत से अधिक है, प्रभारों के निर्धारण के लिए पूंजी की राशि 30 प्रतिशत तक सीमित रहेगी तथा शेष को नार्मेटिव ऋण विचारित किया जायेगा। जहां वास्तविक पूंजी निवेश 30 प्रतिशत से कम है वास्तविक ऋण और पूंजी को प्रभारों के निर्धारण हेतु विचारित किया जावेगा।

परन्तुक यहः

(1) पूंजीगत व्यय किये जाने अथवा प्रस्तावित किये जाने के समर्थन में आंतरिक संसाधनों के निधि के प्रयोग से सम्बन्धित एसएलडीसी से निदेशक मण्डल का स्वीकृत प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा;

(2) विदेशी मुद्रा में निवेशित पूंजी प्रत्येक निवेश की तिथि को भारतीय मुद्रा में दर्शायी जायेगी;

(3) परियोजना के निर्माण हेतु प्राप्त पूंजीगत सहायिकी अथवा अनुदान ऋण-पूंजी अनुपात के उद्देश्य हेतु पूंजीगत संरचना का भाग नहीं माना जायेगा;

(4) विनियम 10.2 की अनुरूपता में अगणित ऋण और पूंजी की राशि ऋण पर ब्याज तथा पूंजी पर लाभ की गणना के लिये प्रयोग की जायेगी।

11–परिचालन एवम् अनुरक्षण व्यय–

11.1 परिचालन एवम् अनुरक्षण व्यय (ओ एण्ड एम) वरीयता देते हुए सम्प्रेक्षित बैलेंस शीट से लिया जायेगा (आंकड़ों की अनुपलब्धता के प्रकरण में यह उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 द्वारा सम्बन्धित वर्ष के लिए आवंटन पर आधारित होगा) इसके अतिरिक्त आयोग अन्य राज्यों के एसएलडीसी आंकडों के आधार पर इन मूल्यों को आधार बनाते हेतु विचार कर सकता है। आयोग द्वारा ओ एण्ड एम के नार्म असामान्य परिचालन एवं अनुरक्षण व्ययों, यदि कोई हो, को छोड़कर विवेक पूर्ण जांच के प्रतिबन्धाधीन निर्धारित किये जायेंगे।

11.2 नार्मलाईज्ड ओ एण्ड एम व्यय आयोग द्वारा विवेक पूर्ण जांच के अधीन 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए गत पांच वर्षों (क्षमता लाभ/हानि के बिना) के औसत को विचारित करते हुए निर्धारित किये जायेंगे।

11.3 ऐसे परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय का औसत बीच के वर्ष का परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय विचारित किया जायेगा तथा वर्ष वार प्रतिगामी वर्षों के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 तक वृद्धि सूत्र सीपीआई तथा डब्लुपीआई 60:40 के अनुपात में विचारित कर बढ़ाया जायेगा।

11.4 एकल समय व्यय, जैसे लेखा नीति में बदलाव के कारण व्यय, वेतन आयोग के कारण भुगतान किया गया अवशेष, एसएलडीसी के नियंत्रण से बाहर कार्मिक लागत व्यय जैसे महंगाई भत्ता, सेवा नैवृत्तक लाभ आयोग द्वारा नार्मेटिव परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय से ऊपर एवं अधिक, विवेकपूर्ण जांच के अधीन अनुमन्य किये जा सकते हैं।

11.5 ओ एण्ड एम व्ययों के ट्रु-अप के समय सम्बन्धित वर्ष के आर्थिक सलाहाकार कार्यालय भारत सरकार के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक तथा श्रमिक ब्यूरो, भारत सरकार के औद्योगिक श्रमिकों (समस्त भारत) के वास्तविक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक प्रत्येक बिन्दु पर मुद्रास्फीति को संज्ञान में लिया जायेगा :

परन्तुक यह कि एसएलडीसी के क्षेत्र/गतिविधियों में विस्तार के कारण अतिरिक्त ओ एण्ड एम व्यय, यदि कोई हो, पर एसएलडीसी द्वारा आयोग की संतुष्टि हेतु अलग प्रस्तुतिकरण के आधार पर विचार किया जा सकता है।

11.6 एसएलडीसी पद्धति स्वचलन, नई तकनीक तथा आईटी कार्यान्वयन हेत ओपेक्स योजना शुरू कर सकता है तथा ऐसे व्ययों की आयोग द्वारा विवेकपूर्ण परीक्षण के प्रतिबन्धाधीन मानकओ एण्ड एम व्ययों से अधिक अनुमति प्रदान की जा सकती है।

परन्तुक यह कि एसएलडीसी विस्तृत औचित्य, कैपेक्स योजनाओं के विरूद्ध ऐसी योजनाओं का लागत लाभ विश्लेषण तथा ओ एण्ड एम व्ययों में बचत, यदि कोई हो, प्रस्तुत करेगा।

11.7 **कर्मचारी लागत–**

कर्मचारी लागत एसएलडीसी नियंत्रण से बाहर व्ययों तथा एक मुश्त अपेक्षित व्यय जैसे नैवृत्तक लाभों की प्रत्याप्ति/समायोजन, वेतन आयोग के प्रभाव, अवशेष तथा अन्तरिम राहत आदि के प्रावधान, को समायोजित करते हुए उपभोक्ता लागत सूचकांक (सीपीआई) द्वारा बढ़ाये गये निम्न सूत्र द्वारा आगणित की जायेगी।

$$EMPn = EMPn\text{-}1\ (1+CPI\ inflation)$$

जहाँ –

EMPn: nth वर्ष के लिए कर्मचारी व्यय,

EMPn–1 : (n–1) वर्ष के लिए कर्मचारी व्यय।

CPI inflation विगत तीन वित्तीय वर्षों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

11.8 **मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय**

मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय की गणना निम्न सूत्र द्वारा की जायेगी

R & Mn= R&Mn-1 (1+WPI inflation)

जहाँ –

R & Mn: nth वर्ष का मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय,

R&Mn-1 : (n–1) th वर्ष का मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय,

WPI inflation विगत तीन वित्तीय वर्षों के औसत थोक मूल्य सूचकांक

11.9 प्रशासनिक एवंसामान्य व्यय–

A & G व्यय थोक मूल्य सूचकांक (WPI) निम्न सूत्र द्वारा बढ़ाये जायेंगे तथा पुष्टिकृत आरम्भिकताओं (आईटी, आदि, एसएलडीसी द्वारा प्रस्तावित तथा आयोग द्वारा प्रमाणित प्रारम्भिकतायें) अथवा सम्भावित एकमुश्त व्ययों के प्रावधानों द्वारा सुनियोजित किये जायेंगे:

A &Gn=A &Gn-1 (1+WPI inflation)

जहाँ –

A &Gn: nth वर्ष के प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय

A &Gn-1 : (n-1) th वर्ष का A &G व्यय,

WPI inflation विगत तीन वित्तीय वर्षों के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) का औसत है:

परन्तुक यह कि वैधानिक एवं विधिक व्यय तथा ब्याज और वित्त प्रभार, जैसे क्रेडिटरेटिंग प्रभार, संग्रह सुविधा प्रभार तथा अन्य वित्त प्रभार भी ए एण्ड जी व्यय का भाग होंगे।

व्याख्या : वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, (n-1)th वर्ष वित्तीय वर्ष 2020-21 होगा, जो आधार वर्ष भी है।

12–ह्रास–

12.1 ह्रास के उद्देश्य के लिए मूल्यांकन आयोग द्वारा स्वीकार की गयी आस्ति की पूंजी लागत होगी।

12.2 स्वीकृत पूंजीकृत लागत का 10 प्रतिशत आस्ति का अवशेष मूल्य माना जायेगा तथा ह्रास आस्ति के स्वीकृत पूंजीगत लागत के अधिकतम 90 प्रतिशत तक प्रदान किया जायेगा।

12.3 भूमि ह्रास योग्य आस्ति नहीं होगी तथा आस्ति की पूंजीगत लागत की राशि ह्रास योग्य राशि की गणना करते समय इसकी लागत पूंजीगत लागत से घटा दी जायेगी।

12.4 पूंजीगत सहायिकी तथा अनुदान आदि से वित्तपोषित आस्ति पर ह्रास प्रदान नहीं किय जायेगा।

12.5 एसएलडीसी की आस्तियों के लिए ह्रास की गणना वार्षिक एवं विनियमावली के परिशिष्ट-2 में निर्दिष्ट दरों पर सीधी रेखा पद्धति के आधार पर की जायेगी :

परन्तुक यह कि एसएलडीसी यह सुनिश्चित करेगा कि जब आस्ति के 70 प्रतिशत तक ह्रासित हो जाने पर उस वर्ष के अन्त में 31 मार्च की अवशेष ह्रासित राशि आस्ति की अवशेष उपयोगी अवधि तथा बढ़ायी हुई अवधि को सम्मिलित करते हुए उस अवधि में एसएलडीसी के प्रस्तुतिकरण तथा आयोग के अनुमोदन के अनुसार बांटी जायेगी।

12.6 पूर्ण रूप से ह्रासित आस्तियों को अलग से दर्शाया जायेगा।

12.7 ह्रास की संगणना के लिए उपयोग में न आने वाली अथवा अप्रयोज्य घोषित परिसम्पत्तियों को पूंजीगत लागत से बाहर कर दिया जायेगा।

12.8 जब एआरआर का निर्धारण किया जाता है वित्तीय वर्ष की पहली अप्रैल को ह्रास योग्य राशि की गणना लेखा पुस्तकाओं में प्रदर्शित सकल ह्रास योग्य राशि से ह्रास की संचयी राशि घटाकर की जायेगी।

12.9 विद्यमान आस्तियों के प्रकरण में अवशेष राशि की गणना आस्ति के जीवन काल को संज्ञान में लेते हुए तथा आस्ति के सकल ह्रास योग्य राशि से आयोग द्वारा स्वीकृत संचयी राशि को घटाकर की जायेगी।

12.10 आयोग की विवेक पूर्ण जांच के अधीन, याचिकाकर्ता द्वारा सम्प्रेक्षित लेखे तथा अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर पूंजीगत आस्तियो पर ट्रुपिंग-अप के समय ह्रास की पुनर्सं गणना की जायेगी।

13–ऋण पर ब्याज–

13.1 ऋण पर ब्याज की गणना हेतु इस विनियमावली में प्रदर्शित रीति के अनुसार उपयोग में लायी गयी आस्तियों हेतु दीर्घ अवधि के ऋण माने जायेंगेः

परन्तुक यह कि अप्रयोज्य अथवा प्रतिस्थापना या आस्तियों की डी–कैपिटीलाईजेशन के प्रकरण में उपरोक्तानुसार अनुमोदित ऋण अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर ऐसी आस्ति की मूल राशि की अवशेष ऋण सीमा तक कम हो जायेगा।

13.2 वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक की नियंत्रण अवधि में प्रत्येक वर्ष पुनर्भुगतान वर्ष के लिए अनुमन्य ह्रास के समतुल्य माना जायेगा। किसी भी अधिस्थगन अवधि के होते हुए ऋण का भुगतान आस्ति के वाणिज्यिक प्रचलन के प्रथम वर्ष से विचारित किया जायेगा तथा यह प्रदान किये गये ह्रास के समतुल्य होगा।

13.3 ब्याज की दर राज्य भार प्रेषण केन्द्र पर लागू प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में वास्तविक दीर्घकालिक ऋण पोर्ट फोलियो के आधार पर संगणित भारित औसत ब्याज दर होगीः

परन्तुक यह किट्रु-यिंग अप के समय वास्तविक दीर्धकालिक ऋण पोर्ट फोलियो की भारित औसत दर सम्बन्धित वर्ष में ब्याज की दर विचारित की जायेगी,

परन्तुक यह भी कि यदि एसएलडीसी का कोई वास्तविक ऋण पोर्ट फोलियो नहीं है, जिस कारण ब्याज की वास्तविक भारित औसत दर उपलब्ध नहीं है, वह मानक दीर्धकालिक ऋण पर ब्याज का भुगतान किये जाने हेतु याचिका प्रस्तुतिकरण के संगत वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल को एसबीआई एमसीएलआर, तथापि ऐसे प्रकरण में ट्रु-अप को ब्याज की दर सम्बन्धित दर की 1 अप्रैल को एसबीआई एमसीएलआर के अनुसार ली जायेगी।

13.4 ऋण पर ब्याज की संगणना वर्ष के मानक औसत दीर्धकालिक ऋण पर ब्याज की भारित औसत दर लागू कर की जायेगीः

परन्तुक यह कि ट्रु-यिंग अप के समय सम्बन्धित वर्ष का मानक औसत ऋण आयोग द्वारा वर्ष के लिए अनुमोदित वास्तविक आस्ति पूंजीकरण के आधार पर विचारित किया जायेगा।

14–कार्यशील पूंजी पर ब्याज–

14.1 कार्यशील पूंजी आच्छादित करेगी :

(क) एक माह का परिचालकीय एवं अनुरक्षण व्यय,

(ख) आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक एसएलडीसी के प्रभारों के 45 दिनों के समतुल्य प्राप्तियां,

परन्तुक आगे यह भी कि किसी वर्ष के ट्रु-यिंग-अप के प्रयोजनार्थ ट्रु-यिंग-अप में आयोग द्वारा कार्यशील पूंजी के घटकों के मूल्यों के आधार पुनर्संगणना की जायेगी।

14.2 कार्यशील पूंजी पर ब्याज की दर साधारण ब्याज दर होगी तथा यह, जैसा विनियमावली में उल्लेख है जब दर निर्धारण एआरआर पोषित की जाती है के वित्तीय वर्ष के 1 अक्टूबर को लागू एसबीआई एमसीएलआर (1 वर्ष) के समतुल्य जमा 250 प्वाइन्ट्स होगी :

परन्तुक यह कि किसी वर्ष के ट्रु-यिंग अप के प्रयोजनार्थ कार्यशील पूंजी पर साधारण ब्याज सम्बन्धित वर्ष में प्रचलित भारित औसत एसबीआई एमसीएलआर (1 वर्ष) की दर के बराबर जमा 250 प्वाइन्ट्स पर प्रदान किया जायेगा।

15–साम्या पर लाभ–

15.1 एसएलडीसी के लिए साम्या पर लाभ की गणना विनियम 10 की अनुरूपता में निर्धारित करने के उपरान्त 12.50 प्रतिशत पोस्ट टैक्स प्रतिवर्ष की दर से रु0 में आगणित की जायेगी।

16–आयकर–

16.1 एसएलडीसी पर आयकर, यदि कोई हो, व्यय माना जायेगा। तथापि इसके परिचालन के अतिरिक्त किसी अन्य आय पर इसकी प्रति पूर्ति नहीं होगी तथा यह एसएलडीसी द्वारा ही देय होगा।

16.2 उपरोक्त विनियम मे कुछ भी होते हुए किसी वर्ष में एसएलडीसी द्वारा भुगतानार्थ आयकर निम्न में निम्नतर होगाः

(क) वास्तविक किया गया भुगतान, अथवा

(ख) वर्ष में स्वीकृत पूंजी पर लाभ x एमएटी (%) अथवा वर्ष में स्वीकृत पूंजी पर लाभ x कारपोरेट टैक्स (%) जो भी लागू हो।

16.3 जैसा कि वैधानिक सम्प्रेक्षक द्वारा प्रमाणित किया गया हो उपर्युक्त विनियम के प्रतिबन्धाधीन आय पर कम अथवा अधिक वसूलियां आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन आयकर निर्धारण के आधार पर प्रत्येक वर्ष समायोजित की जायेंगी।

17–टैरिफ से इतर आय–

17.1 एसएलडीसी शुल्क तथा प्रभारों के निर्धारण में एसएलडीसी के व्यवसाय से सम्बन्धित टैरिफ इतर आय जैसी आयोग द्वारा अनुमोदित की जाये एआरआर से घटा दी जायेगी :

परन्तुक यह कि एसएलडीसी टैरिफ से इतर आय के अनुमान का पूर्ण विवरण ऐसे प्रारूप में, जैसा आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जाये, आयोग को प्रस्तुत करेगा।

टैरिफ से इतर आय में शामिल होगा :

(क) भूमि या भवनों के किराए से आय,

(ख) स्क्रैप की बिक्री से आय,

(ग) निवेश से आय,

(घ) आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों को अग्रिमों पर ब्याज से आय,

(ङ) कर्मचारियों को ऋण/अग्रिम पर ब्याज से आय,

(च) स्टाफ क्वाटर्स के किराये से आय,

(छ) ठेकेदारों से किराये से आय,

(ज) ठेकेदारों तथा अन्य से भाड़ा प्रभारों से आय,

(य) पूंजीगत, कार्यों के लिए पर्यवेक्षण प्रभार,

(र) विज्ञापनों से आय,

(ल) निविदा अभिलेखों की बिक्री से आय,

(व) पूर्व अवधि की आय,

(स) विविध प्राप्तियां, तथा

(श) कोई अन्य टैरिफ से इतर आयः

परन्तुक यह कि एसएलडीसी व्यवसाय से सम्बन्धित पूंजी पर लाभ में से किये गये निवेश से अर्जित ब्याज टैरिफ से इतर आय में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

परन्तुक यह कि एसएलडीसी द्वारा अल्प कालीन ओपन एक्सेस चार्जेज का लाभ उठाने वाले उपयोगकर्ताओं से अर्जित आय को वार्षिक एसएलडीसी प्रभारों को निर्धारित करने में एआरआर से घटाया जायेगा।

18–राज्य भार प्रेषण केन्द्र को देय शुल्क और प्रभार–

18.1 राज्य की अंत राज्य पारेषण ऊर्जा प्रणाली से सम्बद्ध उत्पादन कम्पनियां, वितरण अनुज्ञप्तिधारी, अन्तः राज्य पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, अंतर/अंतः राज्य उत्पादन कम्पनियां, राज्य भार प्रेषण केन्द्र को शिड्युलिंग, शिड्यूल के संशोधन, ऊर्जा लेखे की संरचना, बिलिंग और आंकड़ों के संग्रह जैसे कार्यों के लिये, जो इसके द्वारा किये जायेंगे राज्य भार प्रेषण केन्द्र को शुल्क का भुगतान करेंगे : परन्तुक यह कि विद्यमान प्रयोगकर्ता (पंजीकृत मानते हुए) जो पहले से शैड्युलिंग तथा विद्युत की डिस्पैच, ऊर्जा लेखा आदि एसएलडीसी सेवाओं का उपभोग कर रहे हैं एक समय के लिये पंजीकरण शुल्क का भुगतान करेंगे तथा पंजीकरण हेतु वाछिंत समस्त प्रासंगिक अभिलेख उपलब्ध करायेंगे।

18.2 पंजीकरण शुल्क जैसा निम्न तालिका में दर्शाया है भुगतान किया जायेगा :

तालिका 1 : विभिन्न उपयोगकर्ताओं के लिये पंजीकरण शुल्क

शुल्क की प्रकृति		धनराशि (रु0 लाख में)
पंजीकरण शुल्क		
(क)	**वितरण कम्पनियां**	10.00
(ख)	**अन्तः राज्य पारेषण अनुज्ञप्तिधारी**	10.00
(ग)	**उत्पादन कम्पनियों के लिए**	
(i)	10 मेगावाट तक की क्षमता के लिए	0.50
(ii)	10 मेगावाट से अधिक तथा 100 मेगावाट तक की क्षमता के लिए	1.00
(iii)	स्थापित क्षमता 100 मेगावाट से अधिक	10.00
(घ)	अन्तर्राज्य लघु कालिक व्यवहार सहित समस्त अन्य उपयोगकर्ता, क्वालिफाईड को आर्डिनेटिंग एजेंसी (क्युसीए) इत्यादि	0.10

18.3 आवेदन शुल्क

लघु कालिक ओपन एक्सेस का लाभ उठाने वाले उपयोगकर्ताओं के लिये आवेदन शुल्क निम्न तालिका में दर्शाये गये के अनुसार होगा :

तालिका 2 –लघु कालिक ओपन एक्सेस का लाभ उठाने वाले उपभोगकर्ताओं के लिये आवेदन शुल्क

क्रमांक	शुल्क की प्रकृति	धनराशि (रु.)
	आवेदन शुल्क	
1	लघु कालिक ओपेन एक्सेस शुल्क (अंतः राज्य आवेदन-पत्र/अंतर्राज्य के लिये सहमति शुल्क)	0.50 लाख
2	लघु कालिक ओपेन एक्सेस के लिए परिचालन प्रभार	रु0 1000/दिन

राज्य भार प्रेषण केन्द्र के लिये प्रत्येक अल्पकालिक द्विपक्षीय/सामुहिक व्यवहार का परिचालकीय प्रभार रु0 1,000.00 प्रतिदिन अथवा उसके अंश की दर से आवेदक द्वारा देय होगाः

परन्तुक यह कि द्विपक्षीय व्यवहार शुल्क आवेदन-पत्र के प्रस्तुतिकरण के तीन कार्य दिवसो में जमा करना होगा।

19–मासिक एलडीसी प्रभार–

उपयोगकर्ताओं से जो मध्य कालिक ओपेन एक्सेस का लाभ उठा रहे हैं अथवा शैड्युलिंग करना चाहते हैं उनसे मासिक एलडीसी प्रभार बिलिंग माह के अंतिम दिन को उनकी क्षमता के योग के अनुपात में मेगावाट/माह में दो दशमलव स्थान तक लिया जायेगा।

अध्याय –4

बिलिंग तथा अन्य विविध प्रावधान

20–बिलिंग तथा भुगतान–

20.1 राज्य भार प्रेषण केन्द्र, जैसा विनियम 10 में प्रावधान है, इसके द्वारा माह के ऊर्जा लेखा के अंतिमीकरण के आधार पर वार्षिक एलडीसी प्रभार का बिल बनाया जायेगा जो अगले माह के सातवें दिन प्रस्तुत किया जायेगा। बिल प्रस्तुतिकरण से 7 दिवसों के अन्दर भुगतान किया जायेगा।

20.2 एसएलडीसी द्वारा बिल के प्रस्तुतिकरण के 7 दिवसों के अन्दर एलडीसी प्रभारों का भुगतान लेटर ऑफ क्रेडिट अथवा नेफ्ट/आरटीजीएस अथवा अन्य के माध्यम से उपकर शुल्क आदि को छोड़कर किये जाने पर बिलिंग की गयी राशि पर 1 प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी।

20.3 इस विनियमावली में देय एलडीसी प्रभारों का भुगतान बिलों की प्रस्तुतिकरण के 30 दिन से अधिक की देरी होती है, तो एसएलडीसी द्वारा 1.25 प्रतिशत प्रति माह की दर से अधिभार लगाया जायेगा।

20.4 एसएलडीसी द्वारा भुगतान किया गया अर्थ दण्ड अथवा शास्ति, यदि कोई हो, एआरआर का अंग नहीं माना जायेगा।

21–राज्य भार प्रेषण केन्द्र के लेखे–

राज्य भार प्रेषण केन्द्र ऐसे लेखा अभिलेख रखेगा और सम्प्रेक्षकों द्वारा प्रमाणित लेखा विवरणी तैयार करेगा जो ऐसे व्यवसाय के सम्बन्ध में रखे जाने वांछित हैं ताकि राजस्व, लागत, आस्तियां, देनदारियां, व्यय कोष तथा प्राविधानों को यथोचित रूप से भार प्रेषण गतिविधियों को आरोपण योग्य होना सत्यापित किया जासके।

22–विवाद का समाधान–

विद्युत की गुणवत्ता अथवा राज्य ग्रिड के संरक्षित तथा एकीकृत परिचालन के सन्दर्भ में अथवा किसी निर्देश, भुगतान अथवा बिलिंग के सम्बन्ध में, यदि कोई विवाद होता है, तो निर्णय हेतु आयोग को भेजा जायेगा।

23–कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति–

यदि इस विनियमावली के किसी भी प्रावधान को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो आयोग सामान्य या विशेष आदेश यदि अधिनियम के प्रावधानों के असंगत नहीं, जैसा कठिनाइयों को दूर करने के लिये आवश्यक अथवा उचित प्रतीत होता हो, निर्देश दे सकता है।

24–संशोधन करने की शक्ति–

आयोग किसी भी समय इस विनियमावली के किसी प्रावधान में आधिक्य, परिवर्तन, सुधार या संशोधन कर सकता है।

25–निरसन और बचत–

25.1 इस विनियमावली में अन्यथा उपलब्ध कराये गये को सुरक्षित करते हुए यूपीईआरसी (राज्य भार प्रेषण केन्द्र को फीस और प्रभारों के भुगतान के लिये प्रक्रिया निबंधन और शर्तें और अन्य सम्बन्धित उपबंध) विनियमावली, 2004 को निरस्त किया जाता है।

25.2 ऐसे निरस्तीकरण के होते हुए भी किसी संहिता, अधिसूचना, निरीक्षण या आदेश अथवा सूचना बनायी गयी या निर्गत अथवा कोई भी नियुक्ति, स्थायीकरण या की गयी घोषणा या लाइसेंस अनुमति, प्राधिकार या कोई अभिलेख अथवा हस्ताक्षरित लेखपत्र अथवा निरस्त विनियमावली के अधीन दिये गये निर्देश जब तक कि ये विनियमावली के प्राविधानों के विपरीत नहीं हों, यह माना जायेगा कि ये इस विनियमावली के संगत प्राविधानों के अंतर्गत किये गये है अथवा लिये गये हैं।

परिशिष्ट-1 : परिचालन प्रभार

क्रमांक	शुल्क की प्रकृति		राशि (लाख रु0 में)
1	(क)	पांच वर्ष अथवा अधिक अवधि के अनुबंध के लिये	1.00 प्रतिवर्ष
	(ख)	तीन माह से अधिक परन्तु 5 वर्ष से कम अवधि के अनुबंधों के लिए	0.75 प्रतिवर्ष
	(ग)	तीन माह से कम अथवा तीन माह तक के अनुबन्ध के लिए	0.50 प्रतिमाह
	(घ)	अपने व्यवसाय के उपयोग हेतु गन्तव्य तक विद्युत ले जाने के लिये कैप्टिव पावर प्लान्ट	1.00 प्रतिवर्ष
2	परिचालकीय प्रभार (अन्तर्राज्य आवेदन) उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रत्येक द्विपक्षीय व्यवहार/बहुपक्षीय व्यवहार के लिये प्रतिदिन के लिये अथवा दिन के अंश के लिये जैसा विनियम 18.3 में प्रावधान है के समान होगा।		

परिशिष्ट-2 : ह्रास अनुसूची

क्रमांक	आस्ति का विवरण	ह्रासदर (रु0)
(क)	**पूर्ण स्वामित्व के अन्तर्गत भूमि**	0.00%
(ख)	**लीज पर भूमि :**	
(क)	भूमि में विनियोग के लिये	3.34%
(ख)	निर्माण स्थान की क्लियरिंग लागत के लिए	3.34%
(ग)	**अन्य आस्तियां**	
(क)	भवन एवं सिविल इंजीनियरिंग कार्य	
(i)	कार्यालय एवं निवासीय	3.34%
(ii)	प्लांट तथा इक्युपमेंन्ट	3.34%
(iii)	अस्थायी निर्माण, जैसे काष्ट ढांचा	100.00%
(iv)	कच्चे मार्ग से इतर सड़कें	3.34%
(v)	अन्य	3.34%
(ख)	**परिवर्तक, कियोस्क, उपस्थान इक्युपमेन्ट तथा अन्य स्थायी यंत्र** (प्लान्ट की नींव सहित)	
(i)	ट्रांसफार्मर 100 केवीए तथा अधिक क्षमता	5.28%
(ii)	अन्य	5.28%
(ग)	**सौर ऊर्जा/विण्ड मिल**	5.28%
(घ)	**तडित चालक**	
(i)	स्टेशन टाइप	5.28%
(ii)	पोल टाइप	5.28%
(iii)	सिन्क्रोनस कन्डेन्सर	5.28%
(ङ)	**बैट्रीज**	15.00%
(i)	भूमिगत केबिल ज्वाइन्ट बोक्सेज तथा विच्छेदन बोक्सेज	5.28%
(ii)	केबिल डक्ट सिस्टम	3.34%
(च)	**केबिल सपोर्ट सिस्टम सहित ओवर हैंड लाइनें**	
(i)	66 केवीए से उच्च टर्मिनल वोल्टेज पर आपरेटिंग फ्रेबीकेटेड स्टील पर लाइन	3.34%
(ii)	13.2 केवीए से अधिक परन्तु 66 केवीए से अधिक नहीं टर्मिनल वोल्टेज पर आपरेटिंग स्टील सपोर्ट पर लाइनें	5.28%
(iii)	स्टील अथवा रीइन्फोसर्ड कन्क्रीट सपोर्ट पर लाइनें	5.28%
(iv)	ट्रीटेड वुड सपोर्ट पर लाईनें	5.28%
(छ)	**मीटर्स**	5.28%
(ज)	**सैल्फ प्रोपेल्ड वाहन**	9.50%
(झ)	**एयर कण्डीशनिंग प्लान्ट**	
(i)	स्टेटिक	5.28%
(ii)	पोर्टेबिल	9.50%
(य)(i)	**ऑफिस फर्नीचर तथा फर्निशिंग**	6.33%
(ii)	ऑफिस इक्युपमेन्ट	6.33%
(iii)	फिटिंग तथा अपरेट्स सहित इन्टरनल वायरिंग	6.33%
(iv)	स्ट्रीट लाइट फिटिंग्स	5.28%

1	2	3
(र)	**किराये पर दिये गये एपरेट्स**	
(i)	मोटर के अतिरिक्त	9.50%
(ii)	मोटर	6.33%
(ल)	**कम्प्युनिकेशन इक्युपमेंट**	
(i)	रेडियो तथा हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिस्टम	6.33%
(ii)	टेलीफोन लाइनें तथा टेलीफोन	6.33%
(व)	आई.टी. इक्युपमेंट	15.00%
(श)	साफ्टवेयर	15.00%
(स)	अन्य आस्तियां जो उपर्युक्त से आच्छादित नहीं	5.28%

टिप्पणी : आस्तियां जिनकी ह्रास दरें जो उपर्युक्त तालिका में सम्मिलित नहीं हैं, आयोग द्वारा टैरिफ आदेश मे निर्धारित की जायेंगी।

आयोग के आदेश से,
ह0 (अस्पष्ट),
सचिव,
उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग।

UTTAR PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, LUCKNOW

Notification No. UPERC/Secy/SLDC Regulation/2020-043
Lucknow Dated May 14, 2020

UPERC (Fees & Charges of State Load Despatch Centre and other related matters) Regulation, 2020.

In exercise of powers conferred under section 32& 33 read with Section 181 of the Electricity Act, 2003 and of all other powers enabling in this behalf, and after previous publications, the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Regulations, namely: -

Chapter -1

PRELIMINARY

1–Short Title, Extent, Applicability and Commencement–

(*a*) These Regulations shall be called the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Fees & Charges of State Load Despatch Centre and other related matters) Regulations, 2020 and will supersede the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms & Conditions for payment of Fee and Charges to State Load Despatch Centre and other related provisions) Regulations, 2004.

(*b*) These Regulations shall extend to the whole State of Uttar Pradesh.

(*c*) These Regulations shall be applicable for determination of fees and charges to be collected by State Load Despatch Centre from its Users.

(*d*) These Regulations will be applicable for the period from April 1, 2021 to March 31, 2025, unless reviewed earlier or extended by the Commission.

(*e*) These Regulations shall come into force from the date of their publications in the Official Gazette.

2. Definitions and Interpretation–

2.1. In these Regulations unless the context or subject-matter otherwise requires:

(1) **"Act"** means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003); as amended from time to time;

(2) **"Accounting Statement"** means for each financial year the following statements, namely:

(*i*) Audited Balance Sheet, prepared in accordance with the form contained in Part I of Schedule 3 to the Companies Act, 2013, as amended from time to time;

(*ii*) Audited Profit and Loss Accounts, complying with the requirements contained in Part II of Schedule 3 to the Companies Act, 2013, as amended from time to time;

(*iii*) Audited Cash Flow Statement, prepared in accordance with the Accounting Standard on Cash Flow Statement (IND AS-3) of the Institute of Chartered Accountants of India, as amended from time to time;

(*iv*) Report of statutory auditors of the SLDC;

(*v*) Cost records if any, prescribed by the Central Government under Section 148 of the Companies Act, 2013, as amended from time to time;

(*vi*) Together with notes thereto, and such other supporting statements and information as the Commission may direct from time to time.

(3) **"Annual LDC Charges (ALC)"** means the Annual LDC Charges (ALC) shall comprise the Aggregate Revenue Requirement (ARR) for meeting the annual expenditure to be incurred by the SLDC as approved by the Commission;

(4) **"Authority"** means Central Electricity Authority;

(5) **"Buyer"** means a person buying power through Long/Medium/Short-Term Open Access and whose scheduling, metering and energy accounting is co-ordinated by the State Load Despatch Centre;

(6) **"Capital Expenditure" or "Capex"** means the expenditure of capital nature planned to be incurred during the Control Period for creation of assets of the State Load Despatch Centre, as the case may be;

(7) **"Charges"** means recurring payments on monthly basis to be collected by the State Load Despatch Centre or any other charges specified in the Regulations;

(8) **"Commission"** means the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (UPERC);

(9) **"Contracted Capacity**" means the capacity arranged through Long-Term Access or Medium-Term Open Access;

(10) **"Central Commission"** means Central Electricity Regulatory Commission referred to in sub-section (1) of section 76 of the Act;

(11) **'Change in law'** means occurrence of any of the following events:

(*a*) Bringing into effect or promulgation of any new Indian Law or Indian Enactment;

(*b*) Adoption, amendment, modification, repeal or re-enactment of any existing Indian law; or

(*c*) change in interpretation or application of any Indian law by a Competent Court, Tribunal or Indian Governmental Instrumentality which is the final authority under law for such interpretation or application;

(*d*) change by any Competent Statutory Authority in any condition or covenant of any consent or clearances or approval or license available or obtained for the project; or

(*e*) coming into force or change in any bilateral or multilateral agreement/treaty between the Government of India and any other Sovereign Government having implication for the SLDC.

(12) **"Control Period"** means the period comprising four years from April 1, 2021 to March 31, 2025, unless reviewed earlier or extended by the Commission;

(13) **"Deviation Settlement Mechanism"** shall mean and include the framework for energy accounting, Deviation Accounting, Rules for pricing of Deviation(s) payable and receivable by State Entities and other design parameters;

(14) **"Fees"** means the non-refundable one-time or fixed payments collected by the State Load Despatch Centre for the services rendered for commencement of grid access and scheduling and on account of registration, membership or any other purpose as specified by the Commission from time to time;

(15) "**Financial Year**" means a period commencing on April 1st of a calendar year and ending on March 31st of the subsequent calendar year;

(16) **"Force Majeure"** for the purpose of these Regulations means the event or circumstance or combination of events or circumstances including those stated below, which partly or fully prevents the SLDC from to complete the project within the time specified in the Investment Approval, and only if such events or circumstances are not within the control the SLDC and could not have been avoided, had the SLDC taken reasonable care or complied with prudent utility practices:

(a) Act of God including lightning, drought, fire and explosion, earthquake, volcanic eruption, landslide, flood, cyclone, typhoon, tornado, geological surprises, or exceptionally adverse weather conditions which are in excess of the statistical measures for the last hundred years; or

(b) Any act of war, invasion, armed conflict or act of foreign enemy, blockade, embargo, revolution, riot, insurrection, terrorist or military action; or

(c) Industry wide strikes and labour disturbances having a nationwide impact in India;

(17) **"Grid Code"** means U.P. Electricity Grid Code;

(18) **"Long-term Open Access"** means 'Long-term Open Access'as defined in UPERC (Terms and Conditions for Open Access) Regulation, 2019 and its subsequent amendments & addendums *etc*;

(19) **"Medium-term Open Access"** means'Medium-term Open Access'as defined in UPERC (Terms and Conditions for Open Access) Regulation, 2019 and its subsequent amendments & addendums *etc*;

(20) **"Short term Open Access"** means 'Short-term Open Access'as defined in UPERC (Terms and Conditions for Open Access) Regulation, 2019 and its subsequent amendments & addendums *etc*;

(21) **"User"** means the Generating Companies, Distribution Licensees, Bulk Consumers (SEZ), Sellers and Intra-State Transmission Licensees, Demand Response Consumers, Qualified Co-ordinating Agency (QCA), or any other such entity who use, the Intra-State Transmission Network or the associated facilities or distribution system of distribution licensee through services of State Load Despatch Centre;

(22) **"Year"** means a financial year;

2.2 The words and expressions used in these Regulations and not defined herein shall bear the same meaning as in the applicable legal framework.

2.3 In the interpretation of these Regulations, unless the context otherwise requires:

(a) words in the singular or plural term, as the case may be, shall also be deemed to include the plural or the singular term, respectively;

(b) references herein to the "Regulations" shall be construed as a reference to these Regulations as amended or modified by the Commission from time to time in accordance with the applicable laws in force;

(c) the headings are inserted for convenience and may not be taken into account for the purpose of interpretation of these Regulations;

(d) references to the Statutes, Regulations or Guidelines shall be construed as including all statutory provisions consolidating, amending or replacing such Statutes, Regulations or Guidelines, as the case may be;

(e) in case of difference in interpretation between English and Hindi version of these Regulations, the English version shall prevail.

CHAPTER-2
GENERAL

3. State Load Despatch Centre–

The State Load Despatch Centre shall be the Centre established by the State Government to be operated by a Government Company or any Authority or Corporation established or constituted by or under the State Act provided that until the State Government notifies so, the State Transmission Utility shall operate State Load Despatch Centre and shall be the apex body to ensure integrated operation of the power system in the State.

4. Functions of SLDC–

4.1 The State Load Despatch Centre shall: -

(*a*) be responsible for optimum scheduling and despatch of electricity within a State, in accordance with the contracts entered into with the licensees or the Generating Companies Operating in that State;

(b) monitor grid operations;

(*c*) keep accounts of the quantity of electricity transmitted through the State grid;

(*d*) exercise supervision and control over the Intra-State Transmission system; and

(*e*) be responsible for carrying out real time operations for grid control and despatch of electricity within the State through secure and economic operation of the State grid in accordance with the Grid Standards and the State Grid Code.

CHAPTER-3
ARR/TRUE-UP AND FEES AND CHARGES

5. Procedure for filing Annual Revenue Requirement (ARR) & True Up:

5.1 The State Load Despatch Centre (SLDC) shall file a Petition for determination of Annual Revenue Requirement (ARR), Annual Performance Review (APR) and True-Up & Fees & Charges payable to State Load Despatch Centre in accordance with the procedure laid down in UPERC (Conduct of Business) Regulation, 2019 & its subsequent Addendum & Amendments:

Provided that such an application for a financial year shall be filed as provided in Regulation 6.1 of these Regulations along with the required fees:

Provided that until the first Tariff Order is issued by the Commission under these Regulations, the rates provided in Annexure-I shall prevail.

5.2 Provided that till the segregation of business by the Transmission Licensee into Transmission Business and SLDC activity, the SLDC expense & revenue will be considered under the Transmission ARR/Tariff filings approved under the UPERC (Multi Year Tariff Distribution and Transmission) Regulations, 2019:

Provided that after complete segregation of accounts between Transmission Business and SLDC activity, SLDC will be governed by these Regulations.

5.3 The annual LDC charges (ALC) as approved by the Commission shall be recovered on monthly basis.

5.4 The Commission will conduct a Technical Validation Session prior to admission of the Petition. On completion of the required proceedings and submissions made to the satisfaction of the Commission, the Commission will issue an Admittance Order.

5.5 The SLDC shall within three working days of issue of the Admittance Order, publish a Public Notice in at least two English and two Hindi daily newspapers having wide circulation, outlining the ARR, proposed Tariff, True-Up and such other matters as may be directed by the Commission, and invite suggestions and objections from the stake holders and public at large:

Provided that the SLDC shall also upload on its website the Petition filed before the Commission along with all regulatory filings, information, particulars and documents in the manner stipulated by the Commission. The SLDC should ensure that there is no requirement of providing personal information for downloading the same.

5.6 The Commission in determining the charges shall take into consideration the objections, if any, received from public at large & stakeholders.

5.7 The Commission shall, within one hundred and twenty days from admittance, after considering all suggestions and objections received from the stakeholders and public at large:

(a) Issue an Order accepting the Petition with such modifications or such conditions as may be specified in that Order; or

(b) Reject the Petition for reasons to be recorded in writing if such Petition is not in accordance with the provisions of the Act and the Rules and Regulations made there under or any other provisions of law, after giving the Petitioner a reasonable opportunity of being heard.

5.8 The Petitioner shall publish the Charges approved by the Commission in newspapers having wide circulation and shall upload the approved Charges on its Internet website.

5.9 The charges, so published, shall be in force from the date stipulated in the Order and shall, unless amended or revised, continue to be in force for such period as may be stipulated therein.

5.10 The Annual LDC charges shall consist of the following Components:

(a) Operation & Maintenance Expenses;

(b) Depreciation;

(c) Interest on Loan Capital;

(d) Interest on Working Capital;

(e) Return on Equity Capital;

(f) Income Tax;

Minus;

(g) Income from Open Access charges;

(h) Non-Tariff Income.

6. Petitions to be filed in the Control Period–

6.1 The Petitions to be filed in the Control Period under these Regulations will comprise of the following:

Filing date	True- Up	APR	ARR / Tariff
15.10.2020	Business Plan for FY, 2021-22 to FY, 2024-25		
30.11.2020			FY, 2021-22
30.11.2021		FY, 2021-22	FY, 2022-23
30.11.2022	FY, 2021-22	FY, 2022-23	FY, 2023-24
30.11.2023	FY, 2022-23	FY, 2023-24	FY, 2024-25

6.2 The SLDC shall submit the data regarding the above as per Guidelines and Formats prescribed and added/ amended from time to time by the Commission.

7. Business Plan and ARR Petition–

7.1 The SLDC shall file a Business Plan as provided in Regulation 6.1 of these Regulations, duly authorized by the Board of Directors or by any Committee / person authorized by the Board in this regard, for the Control Period of four Financial Years, *i.e*., from April 01, 2021 to March 31, 2025, consisting of but not limited to Capital Investment Plan including phasing of expenditure and funding of pattern, Estimated budget for the control period, manpower planning for the Control Period in accordance with Guidelines and Formats as may be prescribed by the Commission accompanied with applicable fees for the approval of the Commission. Above requirement of the Commission does not exclude its right to seek any other information in this regard, as deemed necessary.

8. Annual Performance Review–

8.1 The SLDC shall file Petition for Annual Performance Review (APR) as provided in Regulation 6.1 of these Regulations:

Provided that the Petition shall include information in such form as may be prescribed by the Commission, together with the audited/ provisional Accounting Statements, extracts of books of account and such other details, as per the Guidelines and Formats prescribed or directions given by the Commission.

9. True-Up–

9.1 The SLDC shall file timely Petition for True-Up:

Provided that the Petition shall include information in such form as may be stipulated by the Commission, together with the Accounting Statements, extracts of books of account and such other details,as per the Guidelines and Formats prescribed or directions given by the Commission.

9.2 The Commission shall carry out Truing-Up exercise of expenses and revenue based on audited annual accounts of the corresponding year subject to prudence check of the Commission.

10. Capital Cost–

10.1 Cost of assets shall be determined based on capital expenditure actually incurred as on the date of putting the asset in commercial use subject to prudence check by the Commission. In case of existing assets, net fixed assets as per audited annual accounts as on April 1stof the corresponding financial year shall be taken for the purpose of determination of charges.

10.2 The debt-equity ratio shall be 70:30 for determination of charges. Where equity employed is more than 30%, the amount of equity for determination of charges shall be limited to 30% and the balance shall be considered as the normative loan. In case where actual equity employed is less than 30%, the actual debt and equity shall be considered for determination of charges.

Provided that:

(i) SLDC shall submit the resolution of the board regarding infusion of fund from internal resources in support of the utilization made or proposed to be made to meet the capital expenditure;

(ii) the equity invested in foreign currency shall be designated in Indian rupees on the date of each investment; and

(iii) any Capital Subsidy or grant obtained for the execution of the project shall not be considered as a part of capital structure for the purpose of debt-equity ratio;

(iv) The debt and equity amount arrived at in accordance with Regulation 10.2 shall be used for calculating interest on loan and return on equity.

11. Operation and Maintenance Expenses–

11.1 Operation and Maintenance (O&M) expenses shall be derived preferably from the audited Balance Sheet (In case the data is not available, the same will based on allocation done by UPPTCL for the respective years). Further the Commission may consider normalising these values based on data of other States SLDCs. The O&M expenses shall be normalized by excluding abnormal operation and maintenance expenses, if any, after prudence check by the Commission.

11.2 The normalised O&M expenses shall be derived by considering the average of last five (5) financial years (without efficiency gain/loss) ending March 31, 2020 subject to prudence check by the Commission.

11.3 The average of such Operation & Maintenance expenses shall be considered as Operation & Maintenance Expenses for the Middle year and shall be escalated year on year with the escalation factor considering CPI and WPI of respective years in the ratio of 60:40, for subsequent years up to FY, 2020-21.

11.4 The One-time expenses such as expense due to change in accounting policy, wage arrears paid due to Pay Commissions, the expenses beyond the control of the SLDC such as dearness allowance, terminal benefits etc. in Employee cost may be allowed by the Commission over and above normative Operation & Maintenance Expenses after prudence check.

11.5 At the time of Truing-up of the O&M expenses, the actual point to point inflation over Wholesale Price Index numbers as per Office of Economic Advisor of Government of India and the actual Consumer Price Index for Industrial Workers (all India) as per Labour Bureau, Government of India in the concerned year shall be considered:

Provided that Additional O&M expenses, if any, due to enlargement of scope/activities of SLDC may be considered by the Commission based on separate submissions made by SLDC to the satisfaction of the Commission.

11.6 The SLDC may undertake Opex scheme for system automation, new technology and IT implementation etc. and such expenses may be allowed over and above normative O&M Expenses, subject to prudence check by the Commission:

Provided that the SLDC shall submit the detailed justification, cost benefit analysis of such schemes as against capex schemes and savings in O&M expenses, if any.

11.7 Employee Cost:

Employee cost shall be computed as per the following formula escalated by Consumer Price Index (CPI), adjusted by provisions for expenses beyond the control of the SLDC and one-time expected expenses, such as recovery / adjustment of terminal benefits, implications of Pay Commission, Arrears, Interim Relief, *etc*.

$EMP_n = EMP_{n-1}$ (1+ CPI inflation)

Where:

EMP_n:Employee expense for the n^{th} year;

EMP_{n-1}: Employee expense for the $(n-1)^{th}$ year;

CPI inflation is the average of Consumer Price Index (CPI) for immediately preceding three Financial Years.

11.8 Repairs and Maintenance Expense:

Repair and Maintenance expense shall be calculated as per the following formula:

$R\&M_n = R\&M_{n-1}$ (1+ WPI inflation)

Where:

$R\&M_n$: Repairs & Maintenance expense for n^{th} year;

$R\&M_{n-1}$: Repairs & Maintenance expense for the $(n-1)^{th}$ year;

WPI inflation is the average of Wholesale Price Index (WPI) for immediately preceding three Financial Years.

11.9 Administrative and General Expenses:

A&G expense shall be computed as per the following formula escalated by the Wholesale Price Index (WPI) and adjusted by provisions for confirmed initiatives (ITetc., initiatives as proposed by the SLDC and validated by the Commission) or other expected one-time expenses:

$A\&G_n = A\&G_{n-1}$(1+ WPI inflation)

Where:

$A\&G_n$: A&G expense for the n^{th}year;

$A\&G_{n-1}$: A&G expense for the $(n-1)^{th}$year;

WPI inflation is the average of Wholesale Price Index (WPI) for immediately preceding three Financial Years:

Provided that the Statutory & Legal expenses and Interest and Finance charges such as Credit rating charges, collection facilitation charges and other finance charges shall also be a part of A&G Expenses.

Illustration:For FY, 2021-22, $(n-1)^{th}$ year will be FY, 2020-21 which is also the base year.

12. Depreciation:

12.1 The value for the purpose of depreciation shall be the capital cost of the assets admitted by the Commission.

12.2 The salvage value of the asset shall be considered as 10% of the allowable capital cost and depreciation shall be allowed up to maximum of 90% of the allowable capital cost of the asset.

12.3 Land shall not be a depreciable asset and its cost shall be excluded from the capital cost while computing depreciable value of the capital cost of the asset.

12.4 Depreciation shall not be allowed on assets funded by Capital Subsidy &Grants *etc*.

12.5 Depreciation shall be calculated annually based on Straight Line Method and at rates specified in Appendix-II to these Regulations for the assets of the SLDC:

Provided that the SLDC shall ensure that once the individual asset is depreciated to the extent of seventy percent, remaining depreciable value as on 31st March of the year closing shall be spread over the balance Useful Life of the asset including the Extended Life, as per submission of the SLDC and approved by the Commission.

12.6 Assets fully depreciated shall be shown separately.

12.7 Value of the assets not in use or declared obsolete shall be taken out from the capital cost for the purpose of calculation of depreciation.

12.8 The balance depreciable value as on 1st April of the financial year when determination of ARR is done shall be worked out by deducting the cumulative depreciation from the gross depreciable value of the assets appearing in the books of accounts.

12.9 In case of existing assets, the balance depreciable value shall be worked out taking into consideration the life of the asset and by deducting the cumulative Depreciation as admitted by the Commission from the gross depreciable value of the assets.

12.10 Depreciation shall be re-computed for assets capitalised at the time of Truing-Up, based on Audited Accounts and documentary evidence of assets capitalised by the Petitioner, subject to the prudence check of the Commission.

13. Interest on Loan Capital:

13.1 The long- term loans arrived at in the manner indicated in these Regulations on the assets put to use shall be considered as normative loan for calculation of interest on loan:

Provided that in case of retirement or replacement or de-capitalisation of assets, the loan capital approved as mentioned above, shall be reduced to the extent of outstanding loan component of the original cost of such assets based on documentary evidence.

13.2 The repayment during each year of the Control Period from FY, 2021-22 to FY, 2024-25 shall be deemed to be equal to the Depreciation allowed for that year. Notwithstanding any moratorium period availed, the repayment of loan shall be considered from the first year of commercial operation of the asset and shall be equal to the annual Depreciation allowed.

13.3 The rate of interest shall be the weighted average rate of interest calculated on the basis of the actual long-term loan portfolio at the beginning of each year applicable to the State Load Despatch Centre:

Provided that at the time of Truing- Up, the weighted average rate of interest of the actual long- term loan portfolio during the concerned year shall be considered as the rate of interest:

Provided also that if SLDC does not have actual long-term loan portfolio because of which actual weighted average rate of interest is not available, then the rate of interest for the purpose of allowing the interest on the normative long-term loan will be the SBI MCLR prevailing on 1st April of the corresponding financial year of filing of Petition, however in such a case, in True-Up the interest on normative long-term loan will be taken as the SBI MCLR on 1st April of the respective year.

13.4 The interest on loan shall be calculated on the Normative Average long-term loan of the year by applying the Weighted Average rate of interest:

Provided that at the time of Truing-Up, the normative average loan of the concerned year shall be considered on the basis of the actual asset capitalisation approved by the Commission for the year.

14. Interest on Working Capital:

1.1 The working capital shall cover:

(i) Operation and maintenance expenses for one month;

(ii) Receivables equivalent to 45 days of annual LDC charges as approved by the Commission.

Provided further that for the purpose of Truing-Up for any year, the working capital requirement shall be re-computed on the basis of the values of components of working capital approved by the Commission in the Truing-Up.

14.2 Rate of interest on working capital shall be simple interest and shall be equal to the SBI MCLR (1 Year) on October 01, of the financial year when determination of ARR is filed as stipulated in the Regulations plus 250 basis points:

Provided that for the purpose of Truing- Up for any year, simple interest on working capital shall be allowed at a rate equal to the weighted average SBI MCLR (1 Year) prevailing during the respective year plus 250 basis points.

15. Return on Equity :

15.1 Return on equity shall be computed in Rs. terms on equity base at the rate of 12.50% post-tax per annum for the SLDC as determined in accordance with Regulation 10.

16. Income Tax:

16.1 Income Tax, if any, of SLDC shall be treated as expense. However, tax on any income other than that through its operations shall not be a pass through, and it shall be payable by the SLDC itself.

16.2 Notwithstanding anything contained in above Regulation, total Income Tax payable by the SLDC, in any year, shall be lowest of the following:

(a) Actual payment made; or

(b) ROE allowed in that year x MAT (%) or ROE allowed in that year x corporate tax (%), whichever is applicable.

16.3 Any under recoveries or over recoveries of Tax on income shall be adjusted every year on the basis of Income Tax Assessment under the Income Tax Act, 1961, subject to above Regulation, as certified by the Statutory Auditors.

17. Non-Tariff Income:

17.1 The amount of Non-Tariff Income relating to the SLDC Business as approved by the Commission shall be deducted from the ARR in determining the Fees and Charges of SLDC:

Provided that the SLDC shall submit full details of its forecast of Non-Tariff Income to the Commission in such form as may be stipulated by the Commission.

The Non-Tariff Income shall include:

(a) Income from rent of land or buildings;

(b) Income from sale of scrap;

(c) Income from investments;

(d) Interest income on advances to suppliers/contractors;

(e) Interest income on loans / advances to employees;

(f) Income from rental from staff quarters;

(g) Income from rental from contractors;

(h) Income from hire charges from contactors and others;

(i) Supervision charges for capital works;

(j) Income from advertisements;

(k) Income from sale of tender documents;

(l) Prior Period Income;

(m) Miscellaneous receipts; and

(n) Any other Non-Tariff Income:

Provided that the interest earned from investments made out of Return on Equity corresponding to the SLDC Business shall not be included in Non-Tariff Income:

Provided that the Income earned by the SLDC from Users availing Short Term Open Access shall be deducted from the ARR in determining Annual LDC Charges.

18. Fee and Charges payable to State Load Despatch Centre:

18.1 The Generating Companies, Distribution Licensees, Intra-State Transmission Licensees, Inter/Intra State Generating Companies connected with Intra-State Transmission Power System of the State shall pay a fee to State Load Despatch Centre for the duties, like scheduling and revision of schedules, preparation of energy account, billing and data collection, to be rendered by it:

Provided that the existing **"Users" (deemed registered)** who are already availing the services of SLDC like Scheduling and Despatch of electricity, Energy Accounting etc. shall also have to provide registration fees for one time and all relevant documents required for registration.

18.2 The Registration Fee shall be paid as shown in the table below: -

Table 1: Registration Fees for different Users

	Nature of Fee	Amount (Rs. Lakhs)
Registration Fees–		
A	Distribution Companies	10.00
B	Intra State Transmission Licensees	10.00
C	For Generating Companies:	
(i)	Having Capacity upto 10 MW	0.50
(ii)	Having Capacity more than 10 MW and upto 100 MW	1.00
(iii)	Having installed capacity of more than 100 MW and above	10.00
D	All Others Users including Inter-State Short-Term transactions, Qualified Co-ordinating Agency (QCA) etc.	0.10

18.3 Application Fee:

The Application Fee for the Users availing Short Term Open Access as provided in the table below:

Table 2: Application Fees applicable for Users availing Short-Term Open Access

Sl. no.	Nature of Fee	Amount (Rs.)
Application Fees–		
1	Short Term Open Access Fee (Intra- State Application/Concurrence fee for Inter-State)	0.05 Lakh
2	Operating Charges for Short-Term Open Access	1000/-day

The Operating Charges at the rate of Rs. 1000/-per day or part of the day for each Short-term bilateral transaction/collective transaction for the State Load Despatch Centre shall be payable by the applicant:

Provided that the fee of bilateral transactions may be deposited within three working days of submission of the application.

19. Monthly LDC Charges–

The Monthly LDC Charges in MW/Month upto two decimal places to be taken from the Users who are availing Medium/Long Term Open Access or who want to get the scheduling done, in proportion to the sum of their capacities as on the last day of the billing month.

CHAPTER-4

BILLING AND OTHER MISCELLENEOUS PROVISIONS

20. Billing and Payment–

20.1 The State Load Despatch Centre shall raise bill, based on annual LDC Charges as provided in Regulation 19 on the basis of energy account finalized by it for a month, to be presented by seventh day of next month. Bill shall be paid within seven days from the days of presentation of bill.

20.2 For payment of bills of LDC charges through Letter of Credit or through NEFT / RTGS or otherwise, within 7 days of presentation of bills by the SLDC, a rebate of 1% on billed amount, excluding the taxes, cess, duties, *etc*., shall be allowed.

20.3 In case the payment of any bills for LDC charges payable under these Regulations is delayed by the user beyond a period of 30 days from the date of presentation of bills a late payment surcharge at the rate of 1.25% per month shall be levied by the SLDC.

20.4 Fine or Penalties paid, if any, by the SLDC shall not be allowed as a part of ARR.

21. Accounts of the State Load Despatch Centre:

The State Load Despatch Centre shall keep such accounting records and prepare accounting statement certified by Auditors as would be required to be kept in respect of each such business so that the revenues, costs, assets, liabilities, expenditure, reserves and provisions of or reasonably attributable to Load despatch activities could be verified.

22. Resolution of Dispute:

If any dispute arises with reference to the quality of electricity or safe, secure and integrated operation of the State grid or in relation to any direction, payment or billing shall be referred to the Commission for adjudication:

Provided that pending the decision of the Commission, the Licensee or Generating Company shall comply with the direction of State Load Despatch Centre.

23. Power to remove difficulties:

If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these Regulations, the Commission may, by General or Special Order, give directions, not inconsistent with the provisions of the Act, as may appears to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulties.

24. Power to Amend:

The Commission may, at any time add, vary, alter, modify or amend any provisions of these Regulations.

25. Repeal and Savings:

25.1 Save as otherwise provided in these Regulations, the UPERC (Procedure, Terms & Conditions for payment of Fee and Charges to State Load Despatch Centre and other related provisions) Regulation, 2004 is hereby repealed.

25.2 Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken including any Code, Notification, Inspection or Order or Notice made or issued or any appointment, confirmation or declaration made or any license, permission, authorisation or exemption granted or any document or instrument executed or any direction given under the repealed Regulations shall, in so far as it is not inconsistent with the provisions of the Regulations, be deemed to have been done or taken under corresponding provisions of the Regulations.

Annexure-1: Operating Charges:

Sl. no.		Nature of Fee	Amount (Rs. Lakhs)
1	A	For agreements of term five years or more	1.00 per annum
	B	For agreements having term more than three months but less than five year.	0.75 per annum
	C	For agreements having term less than or equal to three month	0.50 per month
	D	Captive Power Plant carrying electricity to the destination of its own use.	1.00 per annum
2		**Operating Charges (Inter-State Application)** -For Users for per day or part of the day for each bilateral transaction/collective transaction will be same as provided in Regulation 18.3.	

Annexure II: Depreciation Schedul:

Sl. no.	Asset Particular	Depreciation Rate
1	2	3
A	Land under full ownership	0.00%
B	Land under lease:	
	(a) for investment in land	3.34%
	(b) For cost of clearing the site	3.34%
C	Other Assets:	
A	Building & Civil Engineering works–	
	(i) Offices and residential	3.34%
	(ii) Containing plant and equipment	3.34%
	(iii) Temporary erections such as wooden structures	100.00%
	(iv) Roads other than Kutcha Roads	3.34%
	(v) Others	3.34%
B	Transformers, Kiosk, Sub-station equipment & other fixed apparatus (including plant foundation):	
	(i) Transformers including foundation shaving rating of 100 KVA and Over	5.28%
	(ii) Others	5.28%
C	Solar Panel/Wind Mill	5.28%
D	Lightning arrestor:	
	(i) Station type	5.28%
	(ii) Pole type	5.28%
	(iii) Synchronous condenser	5.28%
E	Batteries:	15.00%
	(i) Underground cable including joint boxes and disconnected boxes	5.28%
	(ii) Cable duct system	3.34%

1	2	3
F	**Overhead lines including cable support systems–**	
	(i) Lines on fabricated steel operating at terminal voltages higher than 66 kV	3.34%
	(ii) Lines on steel supports operating at terminal voltages higher than 13.2 kV but not exceeding 66 kV.	5.28%
	(iii) Lines on steel on reinforced concrete support	5.28%
	(iv) Lines on treated wood support	5.28%
G	**Meters**	5.28%
H	**Self- propelled Vehicles**	9.50%
I	**Air Conditioning Plants–**	
	(i) Static	5.28%
	(ii) Portable	9.50%
J(*i*)	**Office furniture and furnishing**	6.33%
(*ii*)	Office equipment	6.33%
(*iii*)	Internal wiring including fittings and apparatus	6.33%
(*iv*)	Street Light fittings	5.28%
K	**Apparatus let on hire–**	
	(i) Other than motors	9.50%
	(ii) Motors	6.33%
L	**Communication equipment–**	
	(i) Radio and high frequency carrier system	6.33%
	(ii) Telephone lines and telephones	6.33%
M	**I.T Equipment**	15.00%
N	**Software**	15.00%
O	**Any other assets not covered above**	5.28%

NOTE: The depreciation rates of assets not been covered in the above table, will be determined by the Commission in its Order.

By the order of The Commission,
(*Sd*.) ILLEGIBLE,
electricity regulatary,
Commission,
Secretary.

पी0एस0यू0पी0–11 असाधारण गज़ट–18.6.2020–100 प्रतियां (डी0टी0पी0 / आफसेट)।